राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का इतिहास

*डॉ. हीरालाल मीणा

सार

भारतीय लोकतंत्र के कार्यकरण में सर्वाधिक विवादित उपबंधों में अनुच्छेद 356 रहा है जिसे सामान्य जनमानस राष्ट्रपति शासन के रूप में जानता है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का इतिहास भी पर्याप्त रूप से विवादित रहा है। स्वतंत्रता पश्चात से वर्तमान तक राजस्थान राज्य में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगाया जा चुका है। राज्य में जब भी राष्ट्रपति शासन लगाया गया उसके पीछे कानून व्यवस्था के प्रश्न से कहीं अधिक राजनीतिक प्रश्न रहे। यह इस बात को बल प्रदान करता है कि केंद्र की मनोवृत्ति सदैव से ही राज्यों के प्रशासन के विषयों में अनावश्यक हस्तक्षेप की रही है।

परिचय

भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के समय है एक ऐसी स्थिति की कल्पना की थी जब राज्य की इकाइयां अपने सामान्य प्रशासन के संचालन में असमर्थ हो जाए और यह स्थिति आपातकालीन स्थितियों के रूप में परिभाषित की गई थी ऐसा होने पर केंद्र की सरकार राज्यों का प्रशासन अपने हाथ में ले लेने में सक्षम हो सकें। इस स्थिति के समाधान के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग 18 में आपातकालीन स्थितियों के संबंध में अनुच्छेद 352 से 360 तक सम्मिलित किए गए इन अनुच्छेदों में 356 अनुच्छेद राज्य सरकार की विफलता से उत्पन्न होने वाली स्थिति किस संबंध में किए गए प्रावधानों को दर्शाता है।

अनुच्छेद 356, केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति उस अवस्था में देता है, जब राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो गया हो।

संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 356 को एक साधन के रूप में भारतीय संविधान में प्रविष्ट किया था उनका मानना था कि आपातकालीन स्थितियों में यदि राज्य सरकारें विफल हो जाती हैं तो शासन प्रशासन के सुचारू संचालन में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो और उत्पन्न होने वाली संभावित अनिश्चितता को रोका जा सके परंतु अपने व्यवहारिक कार्यकरण में अनुच्छेद 356 का भारतीय संविधान में सर्वाधिक मात्रा में दुष्प्रयोग हुआ है। स्वतंत्रता

पश्चात के 70 वर्षों में इस अनुच्छेद का प्रयोग 100 से अधिक बार किया जा चुका है। इस अनुच्छेद का प्रथम बार प्रयोग 31 जुलाई 1957 हुआ था। व्यवहार में देखा गया है कि जब कभी केंद्र एवं राज्य में विपरीत दलों की सरकारें अस्तित्व में आई हैं छोटे-छोटे विषयों और मुद्दों पर भी अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ है।

अनुच्छेद 356 के दो महत्त्वपूर्ण पहलू हैं-

1. राष्ट्रपति राज्य के कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल की रिपोर्ट या फिर किसी अन्य संस्था (केन्द्रीय मंत्रिपरिषद) के कहने पर आपात की घोषणा कर सकता है। इसमें मात्र राष्ट्रपति की संस्तुति आवश्यक है जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। इस प्रकार यह व्यक्तिनिष्ठता पर आधारित है।
2. राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होना कि संविधान के अनुसार सरकार चलाना मुमकिन न होने पर भी राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है। उल्लेखनीय है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता मुख्यतः राजनैतिक संकट, आंतरिक अशांति, संघ कार्यकारिणी के संवैधानिक निर्देश के साथ गैर-अनुपालन इत्यादि स्थितियों में की जा सकती है। इन परिस्थितियों में भी राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। साथ ही प्रस्तुत परिस्थितियों में का संविधान में कोई वर्णन नहीं है, जो व्यक्तिनिष्ठता को बढ़ाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति शासन की व्यक्तिनिष्ठता स्वतः सिद्ध होती है।

आपात की उद्घोषणा में वस्तुनिष्ठता तय करके केन्द्र व राज्य सरकारों के मध्य विश्वास व संतुलन को बढ़ाया जा सकता है।

वस्तुनिष्ठ नियमों से आपात की उद्घोषणा के नियम स्पष्ट व पारदर्शी होंगे। इससे राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व को बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जा सकेगा।

आपात के नियम में वस्तुनिष्ठता के समावेश से सहयोगी संघवाद को बल मिलेगा। यह 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की अवधारणा हेतु आवश्यक है।

अनुच्छेद 356 के अंतर्गत प्रावधानों की सीमाओं को सर्वोच्च न्यायालय ने एस.आर. बोम्मई केस में निर्धारित किया। इसके अंतर्गत इस अनुच्छेद की व्यक्तिनिष्ठता को कम करके वस्तुनिष्ठता के तत्त्व को बढ़ाने हेतु आपात की घोषणा को न्यायिक पुनर्विलोकन की सीमा के अंतर्गत लाया गया, क्योंकि निस्संदेह आपात की उद्घोषणा संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का व्यक्तिनिष्ठ निर्णय है, फिर भी सहयोगी संघवाद को सुनिश्चित करने हेतु इस निर्णय का आधार सदैव वस्तुनिष्ठ होना चाहिये।

अध्ययन का महत्व

अनुच्छेद 356 पर सामान्यतः यह आक्षेप लगाया जाता है कि यह वह अनुच्छेद है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार राज्य की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त करके मनमानी एवं अधिनायकवादी कार्य करने लगती हैं।

ऐसी स्थिति में भारतीय लोकतंत्र को सशक्त एवं सभी प्रकार की विपरीत स्थितियों में सफल बनाने के लिएअनुच्छेद 356 के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन किया जाना अपरिहार्य हो जाता है। इसीलिए प्रस्तुत शोध पत्र में राजस्थान राज्य के संदर्भ में राष्ट्रपति शासन के इतिहास का विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य राजस्थान राज्य में स्वतंत्रता पश्चात आरोपित किए गए राष्ट्रपति शासन की पृष्ठभूमि एवं उपादेयता का विश्लेषण करना है।

इस प्राथमिक उद्देश्य के अतिरिक्त शोध पत्र के अन्य कुछ उप उद्देश्य भी हैं जो निम्नलिखित हैं।

1. अनुच्छेद 356 की उपादेयता का विश्लेषण करना।
2. एसआर बोम्मई केस के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन का विश्लेषण करना
3. राज्यपाल की व्यक्तिगत भूमिका का विश्लेषण करना।
4. केंद्र सरकार के राज्यों की राजनीति में हस्तक्षेप की प्रवृत्ति का अध्ययन करना।
5. राष्ट्रपति शासन का राज्य राजनीति पर होने वाले प्रभाव का विश्लेषण करना
6. राष्ट्रपति शासन का सामान्य जनमानस पर क्या प्रभाव होता है का विश्लेषण करना।

शोध का रीति विधान

प्रस्तुत शोध पत्र तैयार करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का सहयोग लिया गया है।

प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत विचारों को जानने का प्रयास हुआ है वहीं दूसरी ओर नौकरशाही के विचारों को भी जानने का प्रयास किया गया है। ब्रिटिश स्रोतों के अंतर्गत विभिन्न प्रकाशित पुस्तकों समाचार पत्रों लेखों का सहारा लिया गया है।

सूचनाओं एवं तथ्यों को एकत्रित कर उनका विश्लेषण किया गया एवं विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

प्राप्तियां

स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान राज्य में कांग्रेस दलीय प्रधान लोकतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हुई थी साठ के दशक के उत्तरार्ध के आते आते विपक्षी दलों ने यहां अपना सुदृढ़ आधार विकसित कर लिया था उसी का परिणाम था कि राज्य में प्रथम बार राष्टपति शासन 13 मार्च 1967 को लगाया गया था। पुर्नसीमन के बाद 1967 के आम विधानसभा चुनाव

में 184 सीटो पर 15,18 और 22 फरवरी को चुनाव संपन्न हुए। चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस और संयुक्त मोर्चे के बीच चले संघर्ष का नतीजा पहले राष्टपति शासन के रूप में सामने आया। एक गोलीकांड ने राज्य में पहले राष्टपति शासन की नींव रखी थी।

- 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली 89 सीटों पर जीत
- दोमादारलाल व्यास जीते थे टोक—मालपुरा दो विधानसभा सीटो पर
- ऐसे में कांग्रेस की वास्तविक सीटो की संख्या रह गयी थी 88
- जनसंघ— 22, स्वतंत्र पार्टी—49, समाजवादी दल—8, भाकपा—1
- और 15 निर्दलिय प्रत्याशियो को मिली थी चुनाव में सफलता
- कांग्रेस— संयुक्त मोर्चा दोनो ने किया सरकार बनाने का दावा
- महारानी गायत्रीदेवी—महारावल लक्ष्मणसिंह कर रहे थे मोर्चे का नेतृत्व
- दावे पर निर्णय के लिए राज्यपाल डॉ सम्पूर्णानंद ने तारीख कि तय
- तय तारीख पर निर्णय से पूर्व राज्यपाल से मिला मोर्चा प्रतिनिधीमण्डल
- मुलाकात के दौरान राजा मानसिंह—राज्यपाल के बीच हुई कहासुनी
- नाराज राज्यपाल सम्पूर्णानंद ने अपना निर्णय कर दिया स्थगित

सयुक्त मोर्चे में शामिल राजा मानसिंह द्वारा राज्यपाल के साथ किये गये दुव्यवहार ने पुरा मामला ही बदल दिया। राज्यपाल कुछ ही देर बाद अपना निर्णय सुनाने वाले थे लेकिन ऐसा नही हो सकता। इस घटना के करीब 6 दिन बाद 4 मार्च 1967 को राज्यपाल ने विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए मोहनलाल सुखड़िया को आमंत्रित किया। राज्यपाल के इस का निर्णय के खिलाफ सयुक्त् मोर्चे ने विरोध का ऐलान करते हुए सड़कों पर संघर्ष शुरू कर दिया।

- राज्यपाल ने 4 मार्च 1967 को सुनाया अपना फैसला
- सबसे बड़े दल कांग्रेस को सरकार बनाने का दिया निमत्रंण
- राज्यपाल के निर्णय से सयुक्त मोर्चा उतरा सड़को पर
- 4 मार्च को ही माणक चौक पर किया सभा का आयोजन
- सभा में किया गया 5 मार्च को राजभवन कूच का ऐलान
- 5 मार्च को सिविल लाइंस में लगा दी गयी धारा 144

- जुलूस से पूर्व जिला प्रशासन करता रहा गायत्रीदेवी से फरियाद
- जिला मजिस्टेट विष्णुदत्त शर्मा ने गायत्रीदेवी—लक्ष्मणसिंह से की वार्ता
- वार्ता के बावजूद सयुक्त मोर्चा का जुलूस निकला सड़को पर
- जुलूस के दोरान हुए हंगामे के बाद हुआ जमकर लाठीचार्ज

पुलिस की लाठीचार्ज के दोरान सयुक्त मोर्चे के कई नेता भी घायल हो गये। कई नेताओं को गिरफतार किया गया जिनमें महारावल लक्ष्मणसिंह, भैरोसिंह शेखावत, सतीशचन्द्र अग्रवाल, हरिकृष्ण व्यास और आदित्येन्द्र सहित कई नेता शामिल थे। इस लाठीचार्ज ने आग में घी का काम किया। जयपुर शहर में पुलिस पर जगह जगह पथराव किया गया। सड़को पर पत्थरो के चलते गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो गया। ऐसे में 5 और 6 मार्च को जयपुर शहर में कफर्यु लगा दिया गया।

- सरकार बनाने के लिए संयुक्त मोर्चा पहुंचा राष्टपति भवन
- 6 मार्च को राष्टपति के समक्ष मोर्चे के विधायको की हुई परेड
- केन्द्र ने शांति होने तक बहुमत पर विचार करने से किया मना
- 7 मार्च 1967 को गायत्रीदेवी ने कि केन्द्रीय गृहमंत्री से मुलाकात
- गृहमंत्री यशवंतराव चव्हाण ने मुख्यमंत्री सुखाड़िया से कि फोन पर बात
- गायत्रीदेवी के आहवान पर बुलायी गयी प्रशासनिक बैठक
- दोपहर तक चली बैठक के बाद कफर्यु हटाना हुआ तय
- कर्फ्यू हटाने से पूर्व ही माणक चौक पुलिस से हुई एक गलती
- धारा 144 हटाने की गफलत में छोड़ दिये 50 प्रदर्शनकारी
- प्रदर्शनकारी जुलूस के रूप में पहुंच गये जौहरी बाजार
- जौहरी बाजार में मौजूद थी यूपी पीएसी पुलिस की टुकड़िया
- पीएसी कंपनियो को नही थी कफर्यु हटाने की जानकारी
- इसी बीच प्रदर्शनकारियो ने कर दिया पुलिस पर हमला
- पुलिस की फायरिंग में हुई 9 प्रदर्शनकारियो की मौत

प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद जयपुर सहित पुरे प्रदेश में स्थिती विस्फोटक हो गयी। जयपुर के जौहरी बाजार में हुए गोलीकांड से नाराज हजारो लोग माणक चौक पहुंचने लगे। एक बार फिर यहां पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियो पर गोली

चलाने के आदेश दिया जिसमें 1 प्रदर्शनकारी घायल हो गया। इस गोलीकाण्ड के बाद 13 मार्च 1967 को सुखड़िया ने भी राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार से बनाने से इंकार कर दिया। राज्यपाल डॉ संपूर्णानंद ने ऐसी स्थिती में राजस्थान विधानसभा को भंग कर राष्टपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी। इसके साथ ही राजस्थान के इतिहास में पहला राष्टपति शासन लागू कर दिया गया।

प्रदेश में दूसरा राष्ट्रपति शासन 29 अगस्त 1973 से 22 जून 1977 तक रहा।राष्ट्रपति शासन लगाए जाने से पूर्व प्रदेश में हरिदेव जोशी की सरकार थी यह राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष 10 माह तक अस्तित्व में रहा। वस्तुतः यह वह समय था जब संपूर्ण राष्ट्र में राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा हुआ था।

प्रदेश में लगाया गया तीसरा राष्ट्रपति शासन 100 दिनों की अवधि का था जो 16 मार्च 1980 से 6 जून 1980 तक रहा। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने से पूर्व प्रदेश में भैरों सिंह शेखावत की सरकार थी। केंद्र में सत्ता परिवर्तन के साथ ही राज्य की विपक्षी दल की सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा यह राष्ट्रपति शासन आरोपित किया गया था।

प्रदेश में लगा चौथा राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1992 को लगाया गया जो 4 दिसंबर 1993 तक लगा रहा। चौथी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय प्रदेश में भैरो सिंह शेखावत की सरकार थी तथा बाबरी विवादित ढांचे को दहाई जाने से उत्पन्न हुई राष्ट्रीय राज्य की स्थिति का बहाना बनाकर संपूर्ण देश में जिन चार भाजपा शासित सरकारों को हटाया गया था उसी क्रम में राज्य की सरकार को भी हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।

इस प्रकार राज्य में अब तक कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जा चुका है और इन चारों ही स्थितियों का विश्लेषण करने से ऐसा प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 356 को संविधान में जिस उद्देश्य से प्रवेश दिया गया था उस उद्देश्य को छोड़कर इस अनुच्छेद का प्रयोग अन्य उद्देश्य एवं स्वार्थों को पूरा करने के लिए प्रमुखता से हुआ है।

सुझाव

अनुच्छेद 356 के व्यावहारिक प्रयोग ने भारतीय लोकतंत्र में एक विकृति ला खडी की है इस विकृति से बचने के लिए हमें निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए।

1. सरकारों के बहुमत का निर्णय विधानसभा के पटल पर ही होना चाहिए।
2. राज्यपाल के पद पर पद स्थापित होने वाले व्यक्ति की पृष्ठभूमि जहां तक संभव हो सके गैर राजनीतिक होनी चाहिए।
3. राज्यपाल पद पर पदस्थापित होने वाली व्यक्ति को उसी राज्य या उसके पड़ोसी राज्य जहां का वह निवासी है

में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

4. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसआर बोम्मई केस में दिए गए दिशा-निर्देशों को कठोरता पूर्वक लागू किया जाना चाहिए।
5. राज्य सरकार के बहुमत के संबंध में किसी भी प्रकार की अनिश्चितता उत्पन्न होने पर उसका निर्णय विधानसभा मैं हूं यदि विधानसभा अनिश्चित रहती है तो उसे बर्खास्त करने के स्थान पर केवल कुछ समय के लिए निलंबित रखा जाए।
6. किसी भी प्रकार की विवादित स्थिति में सरकारों को बहुमत सिद्ध करने के लिए 1 सप्ताह से अधिक का समय दिया जाए।
7. केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों पर अपनी विचारधारा और सोच ठोकने का प्रयास ना किया जाए।

निष्कर्ष

सारांशतः कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 1956 को जिस उद्देश्य के लिए भारतीय संविधान में स्थान प्राप्त हुआ था उस उद्देश्य को छोड़कर अनुच्छेद 356 अन्य सभी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों का एक प्रमुख साधन बन चुका है। राजस्थान में लागू किए गए 4 राष्ट्रपति शासन का विश्लेषण एवं अध्ययन करने से यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि राष्ट्रपति शासन का आरोपण राजनीतिक स्वार्थों एवं दुराग्रह की भावना से किया गया था।

*व्याख्याता
राजकीय महाविद्यालय
करौली (राज.)

संदर्भ ग्रंथ

1. भारत का संविधान एक परिचय डीडी बसु
2. भारतीय शासन एवं राजनीति बीएल फडिया
3. भारतीय शासन एस एम शईद
4. राजस्थान पत्रिका
5. दैनिक भास्कर
6. अमर उजाला